नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज–फैजाबाद के प्रबन्ध परिषद की 174 वीं बैठक की कार्यवृत्त

बैठक की तिथि : 15–06–2017

स्थान : सभाकक्ष
कृषि निदेशालय
कृषि भवन,
लखनऊ ।

समय : **अपरान्ह 2.00 बजे ।**

उपस्थित :

1– प्रो0 अख़्तर हसीब , कुलपति	– अध्यक्ष
2– श्री ध्रुब कुमार त्रिपाठी , मान0सदस्य विधान परिषद	– सदस्य
3– श्री शिव राम त्रिपाठी , संयुक्त सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग,उ0प्र0शासन	– सदस्य
4–श्री योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी , संयुक्त सचिव वित्त विभाग, उ0प0शासन	– सदस्य
5– डा0 आर0के0 सक्सेना ,सहायक निदेशक पशुपालन प्रतिनिधि, निदेशक पशुपालन उ0प्र0	– सदस्य
6– श्री छेदी सिंह , प्रगतिशील कृषक	– सदस्य
7– श्री बंशी लाल यादव, कृषि वैज्ञानिक	– सदस्य
8– श्री शिवजीत यादव पशु प्रजनक ,	– सदस्य
9–श्रीमती सुचिता तिवारी, प्राख्यात उद्योगपति	– सदस्या
10– श्री राकेश कुमार त्रिपाठी , वित्त नियंत्रक	– सचिव

बैठक के प्रारम्भ में माननीय कुलपति जी/अध्यक्ष प्रबन्ध परिषद द्वारा बैठक में प्रथम बार भाग लेने वाले नवागत सदस्य माननीय श्री ध्रुब कुमार त्रिपाठी ,सदस्य विधान परिषद नामित सदस्य ,श्री यागेन्द्र दत्त त्रिपाठी ,संयुक्त सचिव वित विभाग, डा0 आर0 के सक्सेना सहायक निदेशक पशुपालन विभाग एवं पुनः निर्वाचित , सदस्य माननीय श्री छेदी सिह , प्रगतिशील कृषक, श्री बंशी लाल यादव , कृषि वैज्ञानिक , श्री शिवजीत यादव , पशु प्रजनक , श्रीमती सुचिता तिवारी , उद्योगपति एवं नवागत वित्त नियंत्रक श्री राकेश कुमार त्रिपाठी , को पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत किया गया तथा माननीय सदस्यों से परिचय कराया गया।

कुलपति महोदय द्वारा श्री छेदी सिंह , एडवोकेट , प्रगतिशील कृषक एवं समाजसेवी को प्रबन्ध परिषद की तरफ से वित्त उपसमिति में सदस्य के रूप में नामित किये जाने का प्रस्ताव रखा जिसको प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया ।

माननीय सदस्य श्री ध्रुब कुमार त्रिपाठी ,सदस्य विधान परिषद , श्री छेदी सिह प्रगतिशील कृषक, श्री बंशी लाल यादव , कृषि वैज्ञानिक , श्री शिवजीत यादव , पशु प्रजनक एवं श्रीमती सुचिता तिवारी , उद्योगपति ने प्रबन्ध परिषद की बैठक का एजेन्डा माननीय सदस्यों को बैठक के समय उपलब्ध कराने पर यह विचार व्यक्त किया कि प्रस्तुत एजेन्डा पर तत्समय विचार किया जाना उचित नही है ,इसलिए प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार एवं निर्णय हेतु प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक आहूत की जाए । तत्पश्चात सम्यक विचारोपरान्त प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक दिनांक 20–6–2017 को प्रातः 11.00 बजे कृषि निदेशालय ,लखनऊ में आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

15.06.17

(राकेश कुमार त्रिपाठी)
वित्त नियंत्रक/सचिव
प्रबन्ध परिषद

(अख़्तर हसीब)
कुलपति/अध्यक्ष
प्रबन्ध परिषद

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद ।

पत्रांक एन0डी0यू0ए0टी0/8/प्र0परि0–174वी बैठक/लेखा/2017/348 दिनांक 16–6–2016

प्रतिलिपि –माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रेषित ।

(राकेश कुमार त्रिपाठी)
वित्त नियंत्रक/सचिव
प्रबन्ध परिषद

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज–फैजाबाद के प्रबन्ध परिषद की 175 वीं बैठक की कार्यवृत्त

बैठक की तिथि : 20–06–2017

स्थान : सभाकक्ष
कृषि निदेशालय
कृषि भवन,
लखनऊ ।

समय : पूर्वान्ह 11.00 बजे ।

उपस्थित :

1– प्रो0 अख़्तर हसीब, कुलपति	– अध्यक्ष
2– श्री ध्रुब कुमार त्रिपाठी, मान0सदस्य विधान परिषद	– सदस्य
3– श्री बी0 राम शास्त्री, विशेष सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग,उ0प्र0शासन	– सदस्य
4–श्री योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी, संयुक्त सचिव वित्त विभाग, उ0प्र0शासन	– सदस्य
5–श्री के0एस0पाण्डेय, अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद	– सदस्य
6– प्रो0 बी0बी0 सिंह, आर0एच0ई0ओ0 लखनउ प्रतिनिधि उच्च शिक्षा विभाग उ0प्र0शासन	– सदस्य
7– श्री ज्ञान सिंह, निदेशक कृषि उ0प्र0	– सदस्य
8– डा0 आर0के0 सक्सेना, अपर निदेशक पशुपालन प्रतिनिधि, निदेशक पशुपालन उ0प्र0	– सदस्य
9– श्री छेदी सिंह, प्रगतिशील कृषक	– सदस्य
10– श्री बंशी लाल यादव, कृषि वैज्ञानिक	– सदस्य
11– श्री शिवजीत यादव, पशु प्रजनक	– सदस्य
12–श्रीमती सुचिता तिवारी, प्राख्यात उद्योगपति	– सदस्या
13– श्री राकेश कुमार त्रिपाठी, वित्त नियंत्रक	– सचिव

बैठक के प्रारम्भ में माननीय कुलपति जी/अध्यक्ष प्रबन्ध परिषद द्वारा बैठक में प्रथम बार भाग लेने वाले श्री वी0राम शास्त्री, विशेष सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग उ0प्र0शासन लखनऊ का स्वागत किया गया एवं माननीय सदस्यों का परिचय कराया गया , तदोपरान्त बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुयी एवं निम्नवत निर्णय लिया गया :–

प्रस्ताव सं0 175:174:1 **प्रबन्ध परिषद की गत 172वीं बैठक दिनांक 27—05—2016, 173वीं बैठक दिनांक 16—09—2016 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।**

प्रबन्ध परिषद की गत 172वीं बैठक दिनांक 27—05—2016, 173वीं बैठक दिनांक 16—09—2016 के एवं भाग—ग एजेन्डा चकितार्थ की कार्यवृत्त की पुष्टि सर्वसम्मति से की गयी ।

प्रस्ताव सं0 175:174: 2 **प्रबन्ध परिषद की गत बैठकों में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की सूचना ।**

प्रबन्ध परिषद की गत बैठकों में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की सूचना बैठक में प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिससे प्रबन्ध परिषद के मान्नीय सदस्य अवगत हुए तथा की गयी कार्यवाही पर सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गयी ।

प्रस्ताव सं0175:174: 3 **नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद के वित्तीय वर्ष 2016—17 पुनरीक्षित एवं वर्ष 2017—18 अनुमानित आय व्यय पर विचार एवं निर्णय ।**

वित्त उपसमिति द्वारा विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2016—17 पुनरीक्षित एवं वर्ष 2017—18 अनुमानित आय व्ययक पर सम्यक विचार विमर्श किया गया। आय व्ययक पर सम्यक विचारोपरान्त वित्त उप समिति द्वारा दिये गये सुझावानुसार परिशिष्ट —क के अनुसार आय व्ययक की संस्तुति सर्वसम्मति से प्रदान की गयी। वित्त उप समिति द्वारा यह सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय के विज्ञापन के प्रकाशन हेतु विश्वविद्यालय के निदेशक प्रशासन एवं परिवीक्षण सूचना निदेशक उ0प्र0 से विश्वविद्यालय के विज्ञापन को शासकीय दर से प्रकाशित कराने हेतु कार्यवाही अपने स्तर से सम्पादित करें। जब तक सूचना विभाग द्वारा शासकीय दर पर अनुमति नही दी जाती है तब तक पूर्व व्यवस्था के अनुसार विज्ञापन किये जायें ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से वित्त उप समिति की संस्तुति के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017—18 का आय व्ययक परिशिष्ट—'क के अनुसार अनुमोदित किया गया । यह भी निर्णय लिया गया कि चालू वित्तीय वर्ष 2017—18 में विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालय के अधिष्ठातागण , निदेशक , विभागाध्यक्ष एवं परियोजना समन्वयक द्वारा ऐक्शन प्लान(Action Plan) बनाकर बजट का उपभोग समयान्तर्गत किया जाय । यदि संबंधित द्वारा उक्त का अनुपालन नहीं किया जाता है तो प्रस्ताव प्रबन्ध परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाय । प्रबन्ध परिषद द्वारा सुझाव दिया गया कि गत वर्ष में शासन/वित्त पोषी संस्था से जो धन प्राप्त हुआ था और किन्हीं कारणवश लैप्स हो गया है, चालू वित्तीय वर्ष से उन –2 मदों में शासन से [illegible] करके बजट का प्राविधान कराया जाय ।

प्रस्ताव सं0175:174: 4 **विश्वविद्यालय में तदर्थ नियुक्त कर्मचारियों को दिनांक 26–02–2003 के बाद अथवा विनियमितीकरण की तिथि जो भी बाद में घटित हो , से सेवानिवृत्ति लाभ अनुमन्य कराये जाने पर विचार एवं निर्णय ।**

वित्त उपसमिति द्वारा विश्वविद्यालय में तदर्थ नियुक्त कर्मचारियों को उनके विनियमितीकरण की तिथि से सेवानिवृत्तिक लाभ दिये जाने संबंधी पेंशन निदेशालय उ0प्र0 के कार्यालय आदेश सं0 पे0नि0/विधि/4270/2017/074 दिनांक 15.05.2017 को विश्वविद्यालय में अंगीकार किये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी। यदि किसी कर्मी द्वारा किसी न्यायालय में वाद दायर किया गया है या कुलाधिपति महोदय या शासन में प्रकरण लम्बित है, तो उसको सेवानिवृत्तिक देयों का भुगतान निर्णय आने के उपरान्त ही किये जाने की संस्तुति की गयी ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से नियमित सेवा की तिथि से ही सेवानिवृत्तिक लाभ दिये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव सं0175:174: 5 **7वें वेतन आयोग की वेतन समिति उ0प्र0 (2016) के प्रथम प्रतिवेदन भाग –3 में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार सचिव, वित्त वेतन आयोग अनुभाग–2 , उ0 प्र0 शासन, लखनऊ द्वारा जारी शासनादेश सं0–66/2016 /वे.आ.–2– 1443 / दस–04(एम)/2016 दिनांक 20 दिसम्बर 2016 इस विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर कार्मिको के वेतन पुनरीक्षण हेतु लागू किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।**

वित्त उपसमिति द्वारा वित्त वेतन आयोग, अनुभाग–2 उ0 प्र0 शासन, लखनऊ द्वारा सातवें वेतन आयोग हेतु जारी शासनादेश सं0–66/2016/वे.आ.–2–1443/दस–04(एम)/2016 दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 को विश्वविद्यालय में अंगीकार किये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी । यदि किसी कर्मी द्वारा किसी न्यायालय में वाद दायर किया गया है या कुलाधिपति महोदय या शासन में प्रकरण लम्बित है तो उन कार्मिकों के वेतन का पुनरीक्षण निर्णय आने के उपरान्त ही किये जाने की संस्तुति की गयी ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से शासनादेश सं0–66/2016/वे.आ.–2–1443 /दस –04 (एम)/2016 दिनांक 20 दिसम्बर 2016 को विश्वविद्यालय में अंगीकार किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए शासन से अतिरिक्त अनुदान की मॉग की जाय, अनुदान प्राप्त होने पर भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

प्रस्ताव सं0175:174: 6 **मान0 उच्च न्यायालय , खण्डपीठ लखनऊ में योजित याचिका संख्या 15332(एस.एस.) /2016 विजय कुमार सिंह व अन्य –1 बनाम राज्य सरकार उ0प्र0 व अन्य–4 में पारित आदेश दिनांक 06–07–2016 एवं संशोधित आदेश दिनांक 15–07–2016 तथा विशेष सचिव ,कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र / शासनादेश सं0 473/ 67– कृ.शि.अ.– 16–30 (57) /16 दिनांक 05 अक्टूबर 2016 में दिये गये निर्देशानुसार अवर अभियन्ता संवर्ग के कर्मचारियों से संबंधित**

पदों की वेतन विसंगति के निराकरण हेतु उच्चीकृत वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 ग्रेड पे रू0 4200/– प्रदान किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा विशेष सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ0प्र0 शासन, वित्त वेतन आयोग अनुभाग–2 उ0 प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र/शासनादेश सं0 473/67–कृ.शि.अ.–16–30 (57) /16 दिनांक 05 अक्टूबर 2016 को विश्वविद्यालय में अंगीकार किये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी।

प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से शासनादेश सं0 473/67–कृ.शि.अ.– 16–30 (57) /16 दिनांक 05 अक्टूबर 2016 को विश्वविद्यालय में अंगीकार किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए शासन से अतिरिक्त अनुदान की मॉग की जाय, अनुदान प्राप्त होने पर भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

प्रस्ताव सं0 175:174: 7 **रिट याचिका संख्या 1343 (एस.बी.)/2007 व रिट याचिका संख्या 1117 (एस.बी.)/2007 में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–09–2012 एवं प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, के पत्र /शासनादेश सं0 222 / 67–कृ.शि.अ.–16–30 (45)/07दिनांक 19 अप्रैल, 2016 के अनुपालन में प्रबन्ध परिषद की बैठक संख्या 172:3 लिये गये निर्णय पर मान0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.05.2017 के अनुपालन में पुर्नविचार ।**

रिट याचिका संख्या 1343 (एस.बी.)/2007 व रिट याचिका संख्या 1117 (एस.बी.)/2007 में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–09–2012 एवं प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, के पत्र /शासनादेश सं0 222 / 67–कृ.शि.अ.–16–30 (45)/07दिनांक 19 अप्रैल, 2016 के अनुपालन में प्रबन्ध परिषद की बैठक संख्या 172:3 दिनांक 27–05–2016 में लिये गये निर्णय पर मान0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.05.2017 के अनुपालन में वित्त उपसमिति द्वारा दिनांक 15.06.2017 को पुर्नविचार किया गया तथा उक्त याचिगणों को प्रबन्ध परिषद की बैठक दिनांक 27–05–2016 में लिये गये निर्णय के भॉति ही लाभ अनुमन्य करने की सर्वसम्मति से संस्तुति की गयी।

प्रबन्ध परिषद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05–05–2017 एवं प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, के पत्र/शासनादेश सं0 222/67–कृ.शि.अ.–16–30 (45)/07 दिनांक 19 अप्रैल, 2016 के अनुपालन में उक्त प्रकरण पर पुनः विचार विमर्श के उपरान्त सदस्यों द्वारा याचीगणों के सम्बन्ध में उपरोक्त आदेश दिनांक 5.5.2017 एवं /शासनादेश सं0 222/67–कृ.शि.अ.–16–30 (45)/07 दिनांक 19 अप्रैल, 2016 के अनुसार कार्यवाही करने हेतु सहमति प्रदान की गयी। किन्तु कुलपति महोदय का

अभिमत था कि उक्त रिट याचिका पर प्रबन्ध परिषद की बैठक सं0 172:3 दिनांक 27.05.2016 में लिये गये निर्णय के भॉति याचिगणों को प्रबन्ध परिषद की बैठक की तिथि (दिनांक 27.05.2016) से ही लाभ प्रदान किया जाय। परन्तु प्रबन्ध परिषद द्वारा दिनाक 13.03.1992 से याचीगणों को यू0जी0सी0 वेतनमान दिये जाने के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने पर सहमति दी गई, जिसपर आने वाला व्यय भार शासन से अतिरिक्त धनराशि प्राप्त करके भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

प्रस्ताव सं0 175:174: 8 मान0 उच्च न्यायालय , खण्डपीठ लखनऊ में योजित याचिका संख्या 5152(एस.एस.)/2016 दिनेश प्रताप सिंह व अन्य–33 बनाम राज्य सरकार उ0 प्र0 व अन्य–3 के आधार पर योजित अवमानना वाद सं0 2437(सी)/ 2016 में पारित आदेश दिनांक 22–12–2016 एवं सचिव ,कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र/शासनादेश सं0 1568/67–कृ.शि.अ.– 16–200(27)/12 दिनांक 15 सितम्बर 2016 में दिये गये निर्देशानुसार लिपिकीय संवर्ग में कार्यरत कार्मिकों से संबंधित पदों की वेतन विसंगति के निराकरण हेतु कनिष्ठ लिपिक /अन्य समकक्ष 91 पद वेतन बैण्ड रू0 5200–20200 ग्रेड पे रू0 1900/–, वरिष्ठ लिपिक 28 पद वेतन बैण्ड रू0 5200–20200 ग्रेड पे रू0 2400/– तथा कार्यालय अधीक्षक 03 पद के पुर्नगठन कर उच्च ग्रेड वेतन प्रदान किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा सचिव ,कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग ,उ0प्र0 शासन वित्त वेतन आयोग अनुभाग–2 उ0 प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र/ शासनादेश सं0 1568/67–कृ.शि.अ.– 16–200 (27)/12 दिनांक 15 सितम्बर 2016 को विश्वविद्यालय में अंगीकार किये जाने को सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से शासनादेश सं0 1568/67–कृ.शि.अ.– 16–200 (27)/12 दिनांक 15 सितम्बर 2016 को विश्वविद्यालय नें अंगीकार किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त शासनादेश में पदों की संख्या का संज्ञान न लिया जाय, साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए शासन से अतिरिक्त अनुदान की मॉग की जाय, अनुदान प्राप्त होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

प्रस्ताव सं0 175:174: 9 मान0 उच्च न्यायालय ,इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में योजित याचिका संख्या 1728(एस.बी0)/ 1999 ,याचिका संख्या 1726(एस.बी0)/ 1999 एवं याचिका संख्या 88(एस.बी0)/ 2000 के आधार पर योजित अवमानना वाद सं0 1294(सी)/2016 तथा 1295(सी)/2016 में पारित आदेश दिनांक 03–11–2016 एवं विशेष सचिव ,कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन,लखनऊ के पत्र/शासनादेश सं0 425/67–कृ.शि.अ. – 16–30(45)/07 दिनांक 07 अक्टूबर 2016 में दिये गये निर्देशानुसार

याचीगण को वेतनमान रू0 2200–4000 (पुनरीक्षित वेतन बैण्ड रू0 15600 –39100 ए0जी0पी0 रू0 6000/–) प्रदान किये जाने पर विचार एवं निर्णय।

मान0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में योजित याचिकाओं के दृष्टिगत उक्त याचिकाओं से आच्छादित 7 याचीगणों के पदों के वेतनमान की विसंगति के निराकरण को अपने स्तर से अनुपालन करायें जाने का आदेश दिया । तदुपरान्त शासनादेश सं0 425/67–कृ.शि.अ.–16–30(45)/07 दिनांक 07 अक्टूबर 2016 जो विशेष सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग द्वारा प्रेषित किया गया है, में नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज फैजाबाद को निर्णय एवं कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश एवं उ0प्र0 शासन के शासनादेश के अनुपालन करने हेतु विश्वविद्यालय ने 7 कर्मियों को तदानुसार आदेश सं0 एन0डी0यू0ए0टी0–16/वि0प्र0/2016/2120 दिनांक 09 दिसम्बर 2016 निर्गत कर दिया गया जिसमें यह उल्लिखित था कि उक्त आदेश प्रबन्ध परिषद के निर्णय के अधीन होगा (आदेश सं0 एन0डी0यू0ए0टी0–16/वि0प्र0/2016/2120 दिनांक 09 दिसम्बर 2016)।

दिनांक 15 जून, 2017 को वित्त उपसमिति की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त याचीगणों के देय लाभ भी पूर्व में रिट याचिका संख्या 1343 (एस.बी.)/2007 के क्रम में लिये गये निर्णय की भॉति पुर्नयोजित आगामी प्रबन्ध परिषद की बैठक दिनांक 20 जून, 2017 में संस्तुति प्राप्त कर प्रबन्ध परिषद की बैठक की तिथि (दिनांक 20.06.2017) से प्रदान किया जयेगा।

माननीय प्रबन्ध परिषद के सदस्यों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश एवं शासनादेश सं0 425/67–कृ.शि.अ.–16–30(45)/07 दिनांक 07 अक्टूबर 2016 जो विशेष सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग द्वारा प्रेषित किया गया है तथा रिट याचिका संख्या 1343 (एस.बी.)/2007 के क्रम में लिये गये निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए कार्यवाही हेतु सहमति प्रदान की गयी। किन्तु कुलपति महोदय का स्पष्ट अभिमत था कि पूर्व की भॉति प्रबन्ध परिषद की बैठक 172:3 में रिट याचिका संख्या 1343 (एस.बी.)/2007 के क्रम में लिए गये निर्णय की भॉति ही इन 7 याचिगणों को भी प्रबन्ध परिषद की बैठक की तिथि (दिनांक 20.06.2017) से ही लाभ प्रदान किया जाना उचित है। परन्तु प्रबन्ध परिषद द्वारा शासनादेश दिनांक 07.10.2016 में निर्देश के अनुसार शासनादेश संख्या 222/67–कृशिअ–16–30(45)/07 दिनांक 19 अप्रैल, 2016 के अनुसार याचीगणों को यू0जी0सी0 वेतनमान दिये जाने पर सहमति दी गई। यह भी निर्णय लिया गया कि एरियर के भुगतान हेतु शासन से अतिरिक्त धन की मॉग आगणन करके प्रस्ताव प्रेषित किया जाए एवं शासन से धन प्राप्त होने पर ही एरियर का भुगतान किया जाय।

प्रस्ताव सं0 175:174:10 **कृषि निदेशालय उत्तर प्रदेश (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रकोष्ठ) कृषि भवन लखनऊ के शासनादेश सं0 1198/12–3–2016–100(5)/2011 दिनांक 22–9–20.16 द्वारा वित्त पोषित परियोजना को इस विश्वविद्यालय में कियान्वित किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।**

वित्त उपसमिति द्वारा कृषि निदेशालय उत्तर प्रदेश, , (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रकोष्ठ)कृषि भवन लखनऊ द्वारा वित्त पोषित परियोजना को इस विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से वित्त उप समिति की उक्त संस्तुति को अनुमोदित किया गया । प्रबन्ध परिषद द्वारा परियोजना को मार्च 2018 तक संचालित किये जाने का भी निर्णय लिया गया ।

प्रस्ताव सं0 175:174:11 **वेतन समिति 2008 के ग्यारहवें प्रतिवेदन के अनुक्रम में इस विश्वविद्यालय में कार्यरत लेखा संवर्ग के कर्मचारियों के पदों की वेतन विसंगति के निराकरण /पुनर्गठन के संबंध में कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनउ द्वारा निर्गत शासनादेश सं0 38/2016/449/ 67–कृ.शि.अ. –16–1500 (45) /14 दिनांक 30 जून, 2016 को विश्वविद्यालय में लागू किये जाने के संबंध में विचार एवं निर्णय ।**

वित्त उपसमिति द्वारा विशेष सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ0प्र0 शासन वित्त वेतन आयोग अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन, लखनऊ के शासनादेश सं0 38/2016/449/67–कृ.शि.अ.–16–1500 (45) /14 दिनांक 30 जून ,2016 को विश्वविद्यालय में अंगीकार किये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से शासनादेश सं0 38/2016/449/67–कृ.शि.अ.–16–1500(45) /14 दिनांक 30 जून, 2016 को विश्वविद्यालय में अंगीकार किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए शासन से अतिरिक्त अनुदान की मॉग की जाय, अनुदान प्राप्त होने पर भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

प्रस्ताव सं0 175:174:12 **इस विश्वविद्यालय के आशुलिपिक संवर्ग से सम्बन्धित पदों की वेतन विसंगति का निराकरण कर उच्चीकृत वेतन निर्धारण एवं पुनर्गठन हेतु जारी कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, के शासनादेश सं0 166/ 67– कृ.शि.अ.–17–500 (6) /11 दिनांक 28 मार्च, 2017 को लागू करने पर विचार एवं निर्णय ।**

वित्त उपसमिति द्वारा संयुक्त सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग उ0प्र0 शासन वित्त वेतन आयोग अनुभाग–2 उ0 प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र/ शासनादेश सं0 166/67–कृ.शि.अ.–17–500 (6) /11 दिनांक 28 मार्च, 2017 को विश्वविद्यालय में अंगीकार किये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से शासनादेश सं0166/67–कृ.शि.अ.–17–500 (6)/11 दिनांक 28 मार्च, 2017 को विश्वविद्यालय में अंगीकार किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए शासन से अतिरिक्त अनुदान की मॉग की जाय, अनुदान प्राप्त होने पर भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

प्रस्तावसं0 175:174:13 निदेशालय निर्माण एवं संयंत्र में विद्युत सम्बन्धी कार्यो की देख–रेख एवं अनुरक्षण हेतु स्वीकृत रिक्त पदों के सापेक्ष नियत मानदेय पर कार्मिकों को लगाये जाने पर विचार एव निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा प्रकरण पर गहन विचार विमर्श किया गया। सम्यक विचारोपरान्त वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से यह सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय में रिक्त पदों को भरे जाने की शासन से अनुमति प्राप्त की जाय। विश्वविद्यालय के आवश्यक कार्य प्रभावित न हो, इस दृष्टिकोण से रिक्त पदों को भरे जाने तक सेवानिवृत्त दक्ष एवं स्वस्थ कार्मिकों से प्रार्थनापत्र प्राप्त कर कुलपति द्वारा एक कमेटी का गठन करके सेवानिवृत्त कार्मिकों को पुर्ननियोजन हेतु नियोक्ता प्राधिकारी की अनुमति से रखे जाने की संस्तुति प्रदान की गयी। वेतन का निर्धारण शासनादेश सं0 स–सा0–3–302/दस–2013–308/97 टी0सी0 दिनांक 22–4–2013 द्वारा किये जाने की भी संस्तुति की गयी ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शासन को सहमति प्राप्त करके नियमित नियुक्ति किया जाय।

प्रस्ताव सं0 175:174:14 कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा जारी पत्र / शासनादेश सं0 1670/ 67– कृ.शि.अ.–16–400 (25) /07 दिनांक 07 नवम्बर 2016 को इस विश्वविद्यालय के वाहन चालकों हेतु लागू किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा वाहन चालको को पूर्व में दिये गये लाभ को निरस्त करते हुए संयुक्त सचिव ,कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग उ0प्र0 शासन वित्त वेतन आयोग अनुभाग–2 ,उ0 प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र/शासनादेश सं0 1670/67–कृ.शि.अ.–16–400 (25)/07 दिनांक 07 नवम्बर, 2016 को विश्वविद्यालय में अंगीकार किये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से शासनादेश सं0 1670/67–कृ.शि.अ.–16–400 (25) /07 दिनांक 07 नवम्बर 2016 का अनुपालन सुनिश्चित करनें का निर्णय लिया गया साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि जो भी अतिरिक्त भुगतान किया गया है उसकी वसूली नियमानुसार एवं विधिक रूप से कर ली जाय।

प्रस्तावसं0175:174:15 निदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद–अटारी , जी0टी0रोड, रावतपुर कानपुर के पत्र सं0 **ATARI/2015 /misc** दिनांक 31–7–2015 संयुक्त सचिव,कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ0प्र0शासन लखनऊ के पत्र सं0 870 / 67– कृ.शि.अ.–17–1500(3)/16 टी0सी0 –1 दिनांक 02–05–2017 एवं कृषि उत्पादन आयुक्त ,उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 21–04–2017 के कार्यवृत्ति के बिन्दु–6 के अनुसार कृषि विज्ञान केन्द्रों के कार्यक्रम समन्वयकों /हेड को वित्तीय अधिकार दिये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा निदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कानुपर के पत्र सं0 ATTARI/2015 /misc दिनांक 31–07–2015 के दिशा–निर्देश के दृष्टिगत वित्तीय नियमों के अनुसार प्रशासन द्वारा लिये गये निर्णय जो कुलसचिव के पत्रांक 07/स्था/का0अधी0/प्रसार/367 दिनांक 22–5–2017 द्वारा वित्तीय अधिकारों को कृषि विज्ञान केन्द्रों के कार्यक्रम समन्वयकों को दिये जाने हेतु जारी किया गया है, की सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी (प्रति संलग्न) ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से वित्त उप समिति की उक्त संस्तुति को अनुमोदित किया गया ।

प्रस्ताव सं0 175:174:16 कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन,लखनऊ के पत्र संख्या 2344/ 67– कृ.शि.अ.–16–1500 (159) /07 दिनांक 17 मार्च 2017 में संदर्भित अधिसूचना संख्या 12/2016/524/36–03–2016–01(अधि0) / 2005 दिनांक 15 जून 2016 द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के पारिश्रमिक में की गयी वृद्वि को विश्वविद्यालय में अंगीकार किये जाने हेतु विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा प्रबन्ध परिषद की 173वी बैठक के मद संख्या 173:5 के निर्णय को निरस्त करते हुए संयुक्त सचिव,कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग उ0प्र0 शासन वित्त वेतन आयोग अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र/सं0 2344/67–कृ.शि.अ.–16–1500 (159)/07 दिनांक 17 मार्च, 2017 में संदर्भित श्रम अनुभाग के अधिसूचना संख्या 12/2016/524/36–03– 2016–01(अधि0)/2005 दिनांक 15 जून, 2016 को विश्वविद्यालय में अंगीकार किये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी तथा यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में उक्त श्रेणी के दैनिक भोगी कर्मचारियों का भुगतान श्रम अनुभाग द्वारा अधिसूचित दरों पर ही सुनिश्चित किया जाय ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से श्रम अनुभाग के अधिसूचना संख्या 12/2016/524/36–03– 2016–01(अधि0)/2005 दिनांक 15 जून 2016 को विश्वविद्यालय में अंगीकार किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

प्रस्ताव सं0 175:174: 17 आई0सी0ए0आर0 की पियर रिवियु टीम (पी0आर0टी0) द्वारा इस विश्वविद्यालय के नैक मूल्यांकन (प्रयोगशाला सहित) कराये जाने के सम्बन्ध में ।

उर्पयुक्त प्रस्ताव के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा की गयी कार्यवाही से प्रबन्ध परिषद को अवगत कराया गया। इस कम में प्रशासन द्वारा प्रदेश शासन से विभिन्न महाविद्यालयों के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों के पद सृजन हेतु आवश्यक पत्राचार किया जा रहा है तथा विश्वविद्यालय स्तर पर प्रकाश में लायी गई कमियों को दूर करने हेतु सभी अधिष्ठाताओं, निदेशक प्रसार, निदेशक शोध, अधिषाशी अभियन्ता, कुलसचिव, निदेशक प्रशासन, अधिकारियों व विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया गया कि किसी भी विभागीय स्तर पर सभी कमियों का निराकरण समय से पूरा करा लिया जाय जिससे विश्वविद्यालय को नैक मूल्यांकन में बेहतर ग्रेडिंग प्राप्त हो सके; इसमें शिथिलता बरतने वालों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति की जायेगी। प्रबन्ध परिषद विश्वविद्यालय द्वारा की जा रही कार्यवाही से अवगत हुयी।

अन्य निर्णय :–

1. श्री शिवजीत यादव, माननीय सदस्य प्रबन्ध परिषद के प्रस्ताव पर पंचम डीन कमेटी के अनुसार विश्वविद्यालय के अधिष्ठाताओं व विभागाध्यक्षों के लिए रोटेशन (Rotation) व्यवस्था लागू करने का निर्णय प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया ।
2. प्रबन्ध परिषद द्वारा सी0ए0जी0 रिपोर्ट में उदघाटित आपत्तियॉ जिसमें संबंधित कर्मियों को विधिक प्रकिया अपनाते हुए आपत्तियों को निस्तारित कराने हेतु निर्देशित किये जाने का निर्णय लिया गया। आपत्ति का निस्तारण केवल सम्बन्धित कर्मी द्वारा ही कराया जायेगा।
3. अधिषाशी अभियन्ता (सिविल)/सहायक अभियन्ता द्वारा विश्वविद्यालय में विभिन्न कार्यदायी सस्थाओं द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यो में संस्थाओं को आवंटित परियोजना की सम्पूर्ण धनराशि से अधूरी परियोजना को यथाशीघ्र पूर्ण कराने का निर्देश देने का निर्णय लिया गया तथा निर्माण कार्यो में वैट की देनदारी को लेकर विश्वविद्यालय स्तर पर सम्बन्धित विभागों/कर्मियों द्वारा लापरवाही वरते जाने के कारण एक बड़ा वित्तीय संकट जो लगभग 9 करोड़ की धनराशि का है विश्वविद्यालय के समक्ष आ गया है तथा विकीकर विभाग द्वारा मार्च 2017 में विश्वविद्यालय के भारतीय स्टेट बैंक में संचालित एक खाते से लगभग 42 लाख रूपये खाते को सीज करते हुए अपने पक्ष में अवमुक्त करा लिया गया। प्रबन्ध परिषद ने तय किया कि माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका की प्रभावी पैरवी तथा धनराशि प्राप्त करने वाली शासकीय कार्यदायी संस्थाओं से धनराशि वसूल कर संगत लेखा शीर्षक में जमा कराने की कार्यवाही की जाय।
4. भारत सरकार, प्रदेश सरकार एवं शासन स्तर से बारबार यह अवगत कराये जाने पर कि विश्वविद्यालय के अधीन संचालित कृषि विज्ञान केन्द्रों का प्रदर्शन अन्य संस्थाओं के अधीन संचालित कृषि विज्ञान केन्द्रों की अपेक्षा ठीक नहीं

है। इस कम में विश्वविद्यालय स्तर पर कृषि विज्ञान केन्द्रों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप वित्तीय अधिकारी प्रदान कर दिये गये है तथा केन्द्रों के लिए निर्धारित मापदण्डों व उद्देश्यों को पूरा करने हेतु कृषि विज्ञान केन्द्र अपनी कार्यशैली में गुणात्मक परिर्वतन लायें। वित्तीय अधिकार प्रदान किये जाने के साथ साथ कृषि विज्ञान केन्द्रों को निर्देशित किया गया है कि उन्हें मिलने वाले अनुदान/बजट का उपयोग वित्तीय नियमानुसार ही सुनिश्चित किया जाय तथा इसके उपरान्त यदि कोई सम्परीक्षा आपत्ति सामने आती है तो उसका निस्तारण केवल सम्बन्धित कार्यक्रम समन्वयक एवं निदेशक प्रसार द्वारा ही कराया जायेगा। उपरोक्त से प्रबन्ध परिषद अवगत हुई।

बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

20-06-17

(राकेश कुमार त्रिपाठी)
वित्त नियंत्रक/सचिव
प्रबन्ध परिषद

(अख़्तार हसीब)
कुलपति/अध्यक्ष
प्रबन्ध परिषद

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद

पत्रांक :एन0डी0यू0ए0टी0/8/प्र0परि0–175वीं बैठक/लेखा/2017/361 दिनांक : 21–6–2017

प्रतिलिपि – माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रेषित ।

(राकेश कुमार त्रिपाठी)
वित्त नियंत्रक/सचिव
प्रबन्ध परिषद

परिशिष्ट–क

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज ,फैजाबाद

आय–व्ययक पुनरीक्षित व्यय वर्ष 2016–17 एवं अनुमान वर्ष 2017–18

(धनराशि हजार रू0 में)

कमांक	मुख्य लेखाशीर्षक	पुनरीक्षित व्यय वर्ष 2016–17	प्रस्तावित अनुमान वर्ष 2017–18
1	2	3	4
1	राज्य सरकार आयोजनेत्तर योजनाएं		
क	कृषि विश्वविद्यालय	463645	641392
ख	पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय	86681	137581
ग	महामाया कृषि अभियंत्रण एवं तकनीकी महाविद्यालय अम्बेडकरनगर,	13707	19809
घ	प्रसार योजनाओं का सुदृढीकरण(कृषि ज्ञान केन्द्रो हेतु)	182	200
छ	आडिट फीस	10000	32023
ज	नये प्रवेशकों पर नयी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना	0	32000
	योग (राज्य सरकार आयोजनेत्तर)	574215	863005
2	राज्य सरकार आयोजनागत योजनाएं		
क	भारतीय कृषि अनु0 परि0 के सहयोग से संचालित परियोजनाओ हेतु 75:25प्रतिशत परियोजनाओ हेतु 25 प्रतिशत राज्यांश	31125	65458
ख	विश्वविद्यालय में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्य	229667	266814
ग	रावे पर व्यय(25 प्रतिशत)	0	1023
घ	पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय में वी0वी0एस0सी0एण्ड ए0एच0 पाठ्यकम के अन्तिम वर्ष के छात्रों हेतु इन्टर्नशिप कार्यकम हेतु राज्यांश	0	250
च	कृषि महाविद्यालय आजमगढ की स्थापना हेतु	1099	30000

	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	3639	1
	योग (राज्य सरकार आयोजनागत)	265530	363546
3	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित योजनाएं		
क	शत प्रतिशत वित्त पोषित कृषि विज्ञान केन्द्रों हेतु	158942	225900
ख	शत प्रतिशत वित्त पोषित शोध योजनाओं हेतु	3244	18238
ग	केन्द्रीय सहायता एन0टी0एस0	0	4000
घ	रावे पर व्यय (75 प्रतिशत)	0	3067
च	पुस्तकालय का सुदृढीकरण	0	10000
छ	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा 75:25 प्रतिशत वित्त पोषित योजनाओं की 75 प्रतिशत धनराशि	93304	196373
ज	शिक्षकों के यू0जी0सी0एरियर के भुगतान हेतु	38	2000
	योग	255528	459578
4	अन्य संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित योजनायें	12117	1337
	योग	12117	1337
5	चक्रीय निधि	38349	69775
	योग	38349	69775
	सम्पूर्ण योग (1 से 5 तक)	1145739	1757241

- यात्रा व्यय मद में रू0 1000 हजार , स्थानान्तरण यात्रा व्यय में रू0 50 हजार , औषधि तथा रसायन मद में रू0 175 हजार , अन्य व्यय मद में रू0 600 हजार तथा कम्प्यूटर अनुरक्षण /तत्संबधी स्टेशनरी का कय मद में रू0100 हजार की सीमा तक व्यय करने की संस्तुति की गयी ।

पत्र सं० 01/पी०एल०-ओ०/शा०/शासनादेश/2013/01
दिनांक: 01/06/2013

संख्या–सा–3–302/दस–2013–308/97टी०सी०

प्रेषक

आनन्द मिश्र,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनाँक: 22 अप्रैल, 2013

विषयः– पुनर्योजित सरकारी सेवकों के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–सा–3–1443/दस–930/83 दिनाँक 15 दिसम्बर, 1983, शासनादेश संख्या–सा–3–2551/दस–946/87, दिनाँक 23 दिसम्बर, 1987, शासनादेश संख्या–सा–3–2211/दस–930–83, दिनाँक 25 नवम्बर, 1988, शासनादेश संख्या–सा–3–1527/दस–930/83, दिनाँक 11 जुलाई, 1989, शासनादेश संख्या–सा–3–1329/दस–97/930/83, दिनाँक 27 सितम्बर, 1997, शासनादेश संख्या–सा–3–126/दस–98–902/98, दिनाँक 16 मार्च, 1998 तथा शासनादेश संख्या–सा–3–957/दस–1998–902/98, दिनाँक 18 जुलाई, 1998 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के लागू होने के अनन्तर, राज्य सरकार द्वारा पुनर्योजित सरकारी सेवकों के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

(1)– दिनाँक 01 जनवरी, 2006 के उपरान्त सेवानिवृत्त एवं पुनर्योजित सरकारी सेवकों का पुनर्योजित पद पर वेतन निर्धारण उनके द्वारा आहरित अंतिम मूल वेतन (वेतन बैण्ड में बैण्ड वेतन एवं ग्रेड वेतन के योग) में से शुद्ध पेंशन (राशिकरण के पूर्व) की राशि घटाते हुये किया जायेगा।

(2)– दिनाँक 01 जनवरी, 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त तथा दिनाँक 01–01–2006 के उपरान्त पुनर्योजित सरकारी सेवकों द्वारा पुनर्योजित पद पर उनके द्वारा सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व आहरित अंतिम मूल वेतन काल्पनिक रूप से पुनरीक्षित वेतन संरचना में इस प्रकार निर्धारित किया जायेगा जैसे वह पुनरीक्षित वेतन संरचना में सेवानिवृत्त हुये हों। पुनर्योजन पर उनका वेतन, उपर्युक्तानुसार निर्धारित काल्पनिक पुनरीक्षित वेतन (ग्रेड वेतन सहित) में से पुनरीक्षित पेंशन (राशिकरण के पूर्व) को घटाते हुए किया जायेगा।

L. Kathwar.

(3)— ऐसे राजकीय सेवक जो दिनाँक 01—01—2006 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए तथा उक्त तिथि को पुनर्योजन में थे, के अपुनरीक्षित वेतनमान में आहरित अंतिम मूल वेतन तथा पेंशन का पुनरीक्षण दिनाँक 01—01—2006 से उपर्युक्तानुसार कर हुये, पुनर्योजित पद पर उनका वेतन पुनः निर्धारित किया जायेगा।

(4)— पुनर्योजित पद पर उपर्युक्तानुसार निर्धारित वेतन एवं पेंशन का योग, पुनर्योजित सरकारी सेवक का पुनरीक्षित वेतन संरचना में अन्तिम मूल वेतन (वेतन बैण्ड में बैण्ड वेतन एवं ग्रेड वेतन का योग) (वास्तविक अथवा काल्पनिक, जैसी स्थिति हो) अथवा पुनर्योजित पद के वेतन बैण्ड में अधिकतम वेतन तथा ग्रेड वेतन के योग, दोनों में जो कम हो, से अधिक नहीं होगा।

(5)— वेतन संशोधन संबंधी आदेश संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जायेंगे। इस संशोधन के फलस्वरूप अवशेषों का भुगतान संबंधित कोषागार/संस्था जहाँ से पुनर्योजित सरकारी सेवक वेतन आहरित कर रहा है, द्वारा किया जायेगा।

2— इस आदेश में उल्लिखित पूर्व शासनादेशों की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी यह आदेश दिनाँक 01—01—2006 से प्रभावी होंगे।

भवदीय,

(आनन्द मिश्र)
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या—सा—3—302(1)/दस—2013—308/97टी0सी0, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम / द्वितीय, उ0प्र0, इलहाबाद।
2— समस्त अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
3— निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
4— निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ।
5— समस्त मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6— विधान सभा/ विधान परिषद, सचिवालय, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(नील रतन कुमार)
विशेष सचिव।

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 7 सी0 वित्त—13—5—2013—(236)—2500 प्रतियां—(कम्प्यूटर/टी)/आफसेट)।

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज–फैजाबाद के प्रबन्ध परिषद की 176 वीं विशेष बैठक का कार्यवृत्त

बैठक की तिथि : 09–08–2017

स्थान : बोर्डरूम
मण्डी परिषद,
किसान मण्डी भवन, विभूतिखण्ड,
गोमतीनगर,, लखनऊ ।

समय : अपरान्ह 1.00 बजे ।

उपस्थित :

1– प्रो0 अख़्तार हसीब , कुलपति – अध्यक्ष
2– श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी , मान0सदस्य विधान परिषद – सदस्य
3– श्री रजनीश गुप्ता , प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग,उ0प्र0शासन – सदस्य
4– श्री ओंकार प्रसाद श्रीवास्तव विशेष सचिव ,वित्त विभाग नामित सदस्य ,प्रमुख सचिव वित्त विभाग उ0प्र0शासन – सदस्य
5– प्रो0 बी0बी0सिंह, आर0एच0ई0ओ0,लखनऊ नामित सदस्य प्रमुख सचिव , उच्च शिक्षा विभाग ,उ0प्र0शासन – सदस्य
6– श्री ज्ञान सिंह, निदेशक कृषि उ0प्र0 – सदस्य
7– डा0 चरण सिंह यादव ,निदेशक पशुपालन उ0प्र0 – सदस्य
8– श्री छेदी सिंह , प्रगतिशील कृषक – सदस्य
09– श्री बंशी लाल यादव, कृषि वैज्ञानिक – सदस्य
10– श्री शिवजीत यादव पशु प्रजनक , – सदस्य
11–श्रीमती सुचिता तिवारी, प्रख्यात उद्योगपति – सदस्या
12– श्री भानु प्रकाश , वित्त नियंत्रक – सचिव

बैठक के प्रारम्भ में माननीय कुलपति जी/अध्यक्ष प्रबन्ध परिषद द्वारा श्री रजनीश गुप्ता , प्रमुख सचिव ,कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग एवं प्रबन्ध परिषद के सभी माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुये सबका परिचय कराया गया । तदोपरान्त बैठक में कृषि एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय अधिनियम 1958 की धारा 11(1) के अन्तर्गत कुलपति के चयन हेतु गठित होने वाली समिति में प्रबन्ध परिषद के प्रतिनिधि के चुने जाने के प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुयी ।

प्रस्ताव सं0176: 1 कृषि एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय अधिनियम 1958 की धारा 11(1) के अन्तर्गत कुलपति के चयन हेतु गठित होने वाली समिति में प्रबन्ध परिषद के प्रतिनिधि के चुने जाने पर विचार एवं निर्णय ।

कृषि एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय अधिनियम 1958 की धारा 11(1) के अन्तर्गत कुलपति के चयन हेतु गठित होने वाली समिति में प्रबन्ध परिषद के प्रतिनिधि के चुने जाने विषयक प्रस्ताव पर प्रबन्ध परिषद में विस्तृत चर्चा हुयी । विस्तृत चर्चोपरान्त प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्य श्री ज्ञान सिंह, निदेशक कृषि उ0प्र0 ने श्री रजनीश गुप्ता , प्रमुख सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग का नाम कुलपति के चयन हेतु गठित होने वाली समिति में प्रबन्ध परिषद के प्रतिनिधि के रूप में नामित किये जाने का प्रस्ताव किया जिसका समस्त पदेन माननीय सदस्यो ने समर्थन किया । उक्त के अतिरिक्त समस्त नामित /निर्वाचित माननीय सदस्यों ने श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी , माननीय सदस्य विधान परिषद का नाम कुलपति के चयन हेतु गठित होने वाली समिति में प्रबन्ध परिषद के प्रतिनिधि के रूप में नामित किये जाने हेतु प्रस्तावित एवं समर्थन किया । उपरोक्त स्थिति मे दोनो माननीय सदस्य कमशः श्री रजनीश गुप्ता , प्रमुख सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग एवं श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी , माननीय सदस्य विधान परिषद को चार–चार माननीय सदस्यों का समर्थन प्राप्त होने के कारण प्रबन्ध परिषद के किसी एक सदस्य के नाम पर सहमति नही बन सकी , ऐसी दशा में माननीय सदस्यों द्वारा मत विभाजन की प्रकिया सम्पादित की गयी जिस पर निम्नानुसार मत प्राप्त हुये :–

कमांक	माननीय सदस्य का नाम	मतों की संख्या	माननीय सदस्य का नाम जिन्होने मद दिया
1	श्री रजनीश गुप्ता ,प्रमुख सचिव ,कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग ,उ0प्र0 शासन	1	प्रमुख सचिव ,कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग ,उ0प्र0 शासन
		2	श्री ओंकार प्रसाद श्रीवास्तव विशेष सचिव ,वित्त विभाग नामित सदस्य ,प्रमुख सचिव वित्त विभाग उ0प्र0 शासन
		3	प्रो0 बी0बी0सिंह, आर0एच0ई0ओ0, लखनऊ नामित सदस्य प्रमुख सचिव ,उच्च शिक्षा विभाग ,उ0प्र0शासन
		4	श्री ज्ञान सिह निदेशक कृषि , उ0प्र0
		5	डा0 चरण सिंह यादव, निदेशक पशुपालन , उ0प्र0
	कुल मत	05	
2	श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, माननीय सदस्य विधान परिषद	1	श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, माननीय सदस्य विधान परिषद
		2	श्री बंशीलाल यादव ,कृषि वैज्ञानिक
		3	श्री छेदी सिंह ,प्रगतिशील कृषक
		4	श्री शिवजीत यादव ,लाइव स्टाक ब्रीडर
		5	श्रीमती सुचिता तिवारी ,प्रख्यात उद्योगपति
	कुल मत	05	

214

उपरोक्तानुसार श्री रजनीश गुप्ता प्रमुख सचिव ,कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग ,उ0प्र0 शासन को 05 माननीय सदस्यों ने एवं श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, माननीय सदस्य विधान परिषद को 05 माननीय सदस्यों ने मत दिया । मतदान के उपरान्त श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी माननीय सदस्य एवं अन्य मनोनीत सदस्यों के द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरों से प्रत्यावेदन प्रस्तुत करके यह आपत्ति की गयी कि प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि श्री ओंकार प्रसाद श्रीवास्तव एवं प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि प्रो0 बी0बी0सिंह को मतदान करने का अधिकार नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि पदेन सदस्यों के प्रतिनिधिगण सदैव बोर्ड की कार्यवाही/बैठकों में प्रतिभाग करते रहे है, जिस पर शासन या माननीय न्यायालय द्वारा कभी आपत्ति नहीं की गयी। माननीय सदस्यगण इससे संतुष्ट नहीं हुए और सहमति नहीं बन सकी।

इस परिस्थिति में उ0प्र0कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम–1958 की सुसंगत धाराओं तथा विश्वविद्यालय परिनियमावली में वर्णित प्राविधानों पर विचार किया गया। उक्त अधिनियम की धारा 11(1) सपठित धारा 28 (बी) एवं परिनियमावली के अध्याय XIX तथा XXI के आलोक में इस परिस्थिति (मत बराबर होने, पदेन सदस्यों के प्रतिनिधियों को मतदान का अधिकार होने न होने अथवा नामित सदस्य की अनर्हता का प्रश्न बैठक में उठाने) का समाधान नहीं मिलता। परिनियमावली के अध्याय XIX के नियम 3 के उपबन्धों के अनुसार कुलपति को इस एजेण्डा बिन्दु के विचार्यमाण होने पर बैठक में उपस्थित रहने का निषेध है। अतः कुलपति के चयन हेतु गठित होने वाली समिति में प्रबन्ध परिषद के प्रतिनिधि चुने जाने के प्रस्ताव पर किसी एक सदस्य के नाम पर सहमति नहीं बन सकी। उक्त विधिक एवं व्यवहारिक कठिनाइयों तथा श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी माननीय सदस्य व अन्य माननीय सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित प्रत्यावेदन (छायाप्रति संलग्न) के दृष्टिगत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रबन्ध परिषद की विशेष बैठक शीघ्र आहूत कर इस एजेण्डा बिन्दु को पुनः प्रबन्ध परिषद के समक्ष रखा जाये ताकि नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए निर्णय लिया जा सके।

बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

26.08.17

(भानु प्रकाश) 26/08/2017
वित्त नियंत्रक/सचिव
प्रबन्ध परिषद

(अख़्तर हसीब)
कुलपति/अध्यक्ष
प्रबन्ध परिषद

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद ।

पत्रांक : एन0डी0यू0ए0टी0/8/प्र0परि0–176 वीं विशेष बैठक/लेखा/2017/578 दिनांक : 26–08–2017

प्रतिलिपि :–

1. माननीय कुलपति/अध्यक्ष, प्रबन्ध परिषद
2. माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रेषित ।

(भानु प्रकाश)
वित्त नियंत्रक/सचिव
प्रबन्ध परिषद

सदस्य – विधान परिषद, उ०प्र०
सदस्य – सीनेट, पं. दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
सदस्य – प्रबन्ध परिषद, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद
9415000431, 9956910425

सिद्धार्थनगर–आवास : मथुरानगर, उस्का बाजार
लखनऊ–आवास : 14, विधायक निवास–4, (रॉयल होटल),
दूरभाष – 0522-2237626
फैक्स : 0522-2239430

9-8-2017

मा० कुलपति / वित्त नियन्त्रक
नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
कुमारगंज, फैजाबाद।

Member Secretary
for immediate [illegible] arrange afresh and also BOM for the above purpose
9-8-17

महोदय,

सर्च कमेटी के मा० प्रबन्ध परिषद के सदस्य के चयन में एक से अधिक उम्मीदवार होने की स्थिति में मतदान से नामित सदस्य भाग नहीं ले सकते हैं। इस निर्वाचन में प्रमुख सचिव (वित्त) की जगह विशेष सचिव वित्त श्री ओंकार प्रसाद श्रीवास्तव तथा प्रमुख सचिव (उच्च शिक्षा) की जगह प्रो० बी.बी. सिंह क्षेत्रीय उच्च शिक्षा (अधिकारी) की उपस्थिति हुई को मतदान के पूर्व आपत्ति करने पर भी स्वीकार नहीं किया गया। आप से अनुरोध है कि नियमानुसार कार्यवाही करने की कृपा करें।

+AO
09.8.2017
F.C.

भवदीय

बंशीलाल महतो

9/08/17

09-08-2017

ध्रुव कुमार त्रिपाठी

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज–फैजाबाद के प्रबन्ध परिषद की 177 वीं विशेष बैठक का कार्यवृत्त

बैठक की तिथि : 08–09–2017
स्थान : सभाकक्ष
कृषि निदेशालय,
कृषि भवन,,
लखनऊ ।

समय : मध्यान्ह 12.30 बजे ।

उपस्थित :

1– प्रो0 अख़्तर हसीब , कुलपति – अध्यक्ष

2– श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी , मान0सदस्य विधान परिषद – सदस्य

3– डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी, मान0सदस्य विधान सभा – सदस्य

4– श्री बाबा गोरखनाथ , मान0सदस्य विधान सभा – सदस्य.

5– श्री बी0राम शास्त्री , विशेष सचिव, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग,उ0प्र0शासन – सदस्य

6–श्री योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी ,संयुक्त सचिव , प्रतिनिधि प्रमुख सचिव वित्त विभाग उ0प्र0शासन – सदस्य

7– प्रो0 बी0बी0 सिंह ,आर0एच0ई0ओ0 लखनऊ प्रतिनिधि प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग उ0प्र0शासन – सदस्य

8– श्री सोराज सिंह, निदेशक , कृषि उ0प्र0 – सदस्य

9– डा0 चरण सिंह यादव ,निदेशक पशुपालन उ0प्र0 – सदस्य

10– श्री छेदी सिंह , प्रगतिशील कृषक – सदस्य

11– श्री बंशी लाल यादव, कृषि वैज्ञानिक – सदस्य

12– श्री शिवजीत यादव , पशु प्रजनक – सदस्य

13–श्रीमती सुचिता तिवारी, प्रख्यात उद्योगपति – सदस्या

14– श्री भानु प्रकाश , वित्त नियंत्रक – सचिव

बैठक के प्रारम्भ में माननीय कुलपति जी/अध्यक्ष प्रबन्ध परिषद द्वारा नवागत माननीय सदस्य प्रबन्ध परिषद डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी, मान0सदस्य विधान सभा एवं श्री बाबा गोरखनाथ मान0सदस्य विधान सभा का स्वागत किया गया एवं अन्य उपस्थित माननीय सदस्यों का परिचय कराया

गया । इसके पश्चात कुलपति /अध्यक्ष महोदय उ0प्र0 कृषि एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय अधिनियम 1958 के Chapter XIX Section II & 28(c) के Para 3 के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए बैठक कक्ष से बाहर चले गये । तदोपरान्त सचिव , प्रबन्ध परिषद ने एक बिन्दु का प्रस्ताव कृषि एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय अधिनियम 1958 की धारा 11(1) के अन्तर्गत कुलपति के चयन हेतु गठित होने वाली समिति में प्रबन्ध परिषद के प्रतिनिधि के चुने जाने विषयक प्रस्ताव बैठक में प्रस्तुत किया ,तदोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुयी एवं निम्नवत निर्णय लिया गया :–

प्रस्ताव सं0177: 1 <u>कृषि एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय अधिनियम 1958 की धारा 11(1) के अन्तर्गत कुलपति के चयन हेतु गठित होने वाली समिति में प्रबन्ध परिषद के प्रतिनिधि के चुने जाने पर विचार एवं निर्णय ।</u>

कृषि एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय अधिनियम 1958 की धारा 11(1) के अन्तर्गत कुलपति के चयन हेतु गठित होने वाली समिति में प्रबन्ध परिषद के प्रतिनिधि के चुने जाने विषयक प्रस्ताव पर प्रबन्ध परिषद में विस्तृत चर्चा हुयी । विस्तृत चर्चोपरान्त प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्य श्री बंशी लाल यादव ने श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी , माननीय सदस्य विधान परिषद का नाम कुलपति के चयन हेतु गठित होने वाली समिति में प्रबन्ध परिषद के प्रतिनिधि के रूप में नामित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया जिसका अन्य 03 माननीय सदस्य श्री शिवजीत यादव, श्रीमती सुचिता तिवारी एवं श्री छेदी सिंह ने समर्थन किया । तदोपरान्त श्री सोराज सिंह , निदेशक कृषि उ0प्र0 ने डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी ,माननीय सदस्य विधान सभा/ सदस्य प्रबन्ध परिषद का नाम कुलपति के चयन हेतु गठित होने वाली समिति में प्रबन्ध परिषद के प्रतिनिधि के रूप में नामित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया जिसका अन्य 05 माननीय सदस्य श्री बाबा गोरखनाथ , माननीय सदस्य विधान सभा , श्री बी0 राम शास्त्री , श्री योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी , प्रो0 बी0बी0सिंह एवं डा0 चरण सिंह यादव ने समर्थन किया। उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सभी माननीय सदस्यों ने सर्वसम्मति से सर्च कमेटी के सदस्य के रूप में डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी , माननीय सदस्य विधान सभा को नामित किया ।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय हो जाने के पश्चात सचिव प्रबन्ध परिषद द्वारा माननीय कुलपति /अध्यक्ष महोदय को बैठक कक्ष में आमंत्रित कर सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय से अवगत कराया गया ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा कुलपति के चयन हेतु गठित होने वाली समिति में प्रबन्ध परिषद के प्रतिनिधि के रूप में डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी , माननीय सदस्य विधान सभा को नामित होने पर बधाई दी गयी ।

बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

11-09-17

(अख़्तार हसीब)
कुलपति/अध्यक्ष
प्रबन्ध परिषद

11/09/2017

(भानु प्रकाश)
वित्त नियंत्रक/सचिव
प्रबन्ध परिषद

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद

पत्रांक एन0डी0यू0ए0टी0/8/प्र0परि0–177वी विशेष बैठक/लेखा/2017/627 दिनांक 11–09–2017

प्रतिलिपि :–

1– माननीय कुलपति महोदय को अवलोकनार्थ

2–माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रेषित ।

(भानु प्रकाश)
वित्त नियंत्रक/सचिव
प्रबन्ध परिषद